

क्रम संख्या-16

पंजीकृत संख्या-यू0ए0/डी0एन0-30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 जनवरी, 2004 ई0

पौष 25, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 501/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 15 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण, आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 13-01-04 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)

(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003,

(जैसा कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन तथा विधान सभा द्वारा

यथा संशोधित पारित किया गया है)

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 29, वर्ष 2003)

अधिनियम

उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में संशोधन के उद्देश्य से भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
1. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपात्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।
 - (2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद् और छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय-समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।
 - (3) यह तत्काल प्रभावी होगा।
- मूल अधिनियम में धारा 129-ख का जोड़ा जाना
2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 129-क के बाद एक नयी धारा 129 ख निम्नवत् जोड़ दी जायेगी-
129-ख-उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ड), 154(4)(2)(च), तथा 154(4)(3) के प्रयोजनों के लिये निम्नवत् श्रेणी के भूमिधर कहलायेंगे-
(1) विशेष श्रेणी के भूमिधर।
- मूल अधिनियम में धारा 152-क का जोड़ा जाना
3. मूल अधिनियम की धारा 152 के बाद एक नयी धारा 152-क निम्नवत् जोड़ दी जायेगी-
(1) 152-क-संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा भूमि अंतरण हेतु कोई मुख्तारनामा ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा जो धारा 171, 172, 174 अथवा 175 के अन्तर्गत आते हैं और ऐसा मुख्तारनामा ऐसे व्यक्ति के विद्यमान न होने की दशा में किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में जिले के कलेक्टर की पूर्वानुमति से अथवा विदेश में रहने वाले व्यक्ति के मामले में भारतीय दूतावास की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।
(2) जब तक बढ़ायी गयी समय सीमा जिले के कलेक्टर द्वारा सकारण अभिलिखित नहीं कर दी जाती है, दिनांक 12-09-2003 को अथवा उससे पहले निष्पादित भूमि के विक्रय हेतु पंजीकृत मुख्तारनामा वैध होगा यदि ऐसे मुख्तारनामा के आधार पर 31-03-2004 या उससे पहले मुख्तारनामे में उपबन्धित किसी समय सीमा पर विचार किये बिना, विक्रय विलेख निष्पादित कर लिया गया हो।
- मूल अधिनियम की धारा 154 में उपधारा (3), (4) और (5) का जोड़ा जाना
4. (3) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर उत्तरांचल राज्य के धारा 129 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के खातेदार अथवा उत्तरांचल में स्थित किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी जिसने 12-09-2003 या उससे पूर्व ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर ली हो अथवा ऐसे खातेदार या सम्पत्ति के स्वामी के परिवार का कोई सदस्य जिसका आशय पति, पत्नी तथा उनकी संतान, सौतेली तथा दत्तक संतान सहित, माता-पिता, दादा-दादी, भाई और अविवाहित, विधवा, पृथक्ता तथा तलाकशुदा बहन से है, के पक्ष में अपनी भूमि विक्रय कर सकेगा।
(4)(1) (क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की ओर से (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी और नाबालिग संतान से है) भले ही वह धारा 129 के अधीन खातेदार या उत्तरांचल में किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो बिना किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 500 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है;
(ख) जब तक कि बढ़ायी गयी समय सीमा जिले के कलेक्टर द्वारा सकारण अभिलिखित नहीं कर दी जाती है, भूमि के विक्रय हेतु 12-09-2003 को या उससे पहले निष्पादित पंजीकृत विक्रय के करार के विलेख पर, ऐसे विलेख में उपबन्धित किसी समय सीमा पर विचार किये बिना दिनांक 31-03-2004 तक निष्पादित विक्रय विलेख वैध होगा।

(4)(2) धारा 154(3) की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के पक्ष में भूमि का अंतरण निषिद्ध है—

(क) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा सांविधिक संस्था अथवा निगम अथवा बोर्ड जो किसी संविधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो और राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के स्वामित्व का हो एवं उसके द्वारा नियंत्रित हो;

(ख) कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित कारणों से खातेदार न रह गया हो—

(1) यदि उसकी भूमि लोक प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अधिग्रहीत की गयी हो; अथवा

(2) यदि उसकी भूमि इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार में निहित हो गयी हो;

(ग) कोई भी व्यक्ति जो खातेदार न हो, राज्य आवास विकास परिषद् अथवा किसी विकास प्राधिकरण अथवा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी अन्य सांविधिक निगम से मकान या दुकान बनाने के लिए भूमि खरीदता है या खरीदना चाहता है अथवा बना-बनाया मकान या दुकान खरीदता है;

(घ) कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदना चाहता है जिसके पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नक्शा (ले आउट प्लान) अनुमोदित कर दिया गया है;

(ङ) कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी उत्तरांचल की औद्योगिक नीति के अनुसार (1) एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र, (2) औद्योगिक क्षेत्र, (3) औद्योगिक आस्थान में भूमि खरीद सकता है;

(च) धार्मिक प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा न्यास;

(छ) उत्तरांचल का भूमिहीन मजदूर; अथवा

(ज) उत्तरांचल का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी भूमिहीन व्यक्ति; अथवा

(झ) उत्तरांचल का ग्रामीण शिल्पी; अथवा

(ट) उत्तरांचल का कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाला भूमिहीन व्यक्ति।

(4)(3) (क) धारा 154 के प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा निगमित निकाय उत्तरांचल में सरकार की पूर्व अनुमति से कृषि और औद्यानिकी से भिन्न निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जो विहित किये जायें, भूमि क्रय कर सकता है—

(i) चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये, यदि वह उत्तरांचल की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या नीति के अनुरूप हो;

(ii) किसी होटल, ठहरने का स्थान, अतिथि गृह, भोजनालय, मद्यशाला, सखनिज झरना, मार्ग में सुविधाये अथवा सैरगाह के लिये यदि वह राज्य की पर्यटन नीति के अनुरूप हो;

(iii) शिक्षा विभाग की संस्तुति पर शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये;

(iv) सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिये;

(V) धारा 154 (4)(2) के उपखण्ड (ड) में उल्लिखित स्थलों से भिन्न स्थलों पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने एवं ऐसे अन्य प्रयोजनार्थ।

(ख) कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा कम्पनी कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजनों के लिए इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात कि ऐसी भूमि का उपयोग केवल कृषि अथवा औद्यानिकी हेतु और ऐसे उपयोगों के लिये किया जायेगा जो कृषि अथवा औद्यानिकी से सम्बन्धित तथा आनुषांगिक हो, जनपद के कलेक्टर की पूर्व अनुमति से भूमि क्रय कर सकेगा। यदि शपथ-पत्र में उल्लिखित भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो अन्तरण शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

परन्तु उपबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति यदि वह खातेदार नहीं है किन्तु धारा 154(4)(1)(क), 154(4)(2)(ड), तथा 154(4)(2)(च) के अधीन भूमि बिना स्वीकृति के क्रय करता है अथवा धारा 154(4)(3) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से भूमि क्रय करता है, तो धारा 129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिए अर्ह होगा।

अग्रेत्तर उपबन्ध यह है कि ऐसा भूमिधर बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बंधक या दृष्टिबंधित कर सकेगा तथा धारा 129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

अग्रेत्तर उपबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो खातेदार नहीं है, जो बिना अनुमति के धारा 154(4)(2)(ड), 154(4)(2)(च) के अधीन भूमि क्रय करता है अथवा धारा 154(4)(3) के अधीन जिसमें भूमि क्रय करने की अनुज्ञा शासन अथवा जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रदान की गयी है, दो वर्ष की अवधि के अन्दर जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उक्त भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता है अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

(5) यदि—

(क) निबंधक अथवा उपनिबंधक के समक्ष जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त किये गये हों, ऐसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित कोई विलेख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उसके संज्ञान में यह आता है अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि

इस अन्तरण से धारा 154(3) अथवा 154(4)(3) का उल्लंघन होता है;
अथवा

(ख) किसी राजस्व अधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी स्रोत से कोई सूचना प्राप्त होने से अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जिस भूमि का अन्तरण किया गया है उससे धारा 152-क, 154(3), 154(4)(2)(ड), 154(4)(2)(च) अथवा (ड), 154(4)(3) के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, तब वह उप निबन्धक, निबन्धक अथवा राजस्व अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उस जिले के कलेक्टर को सन्दर्भित करेगा जिसमें वह भूमि अथवा उसका भाग स्थित है, तो वह उस रीति से जैसा विहित किया जाय, यह विनिश्चित करेगा कि क्या ऐसा अन्तरण इस अधिनियम के उपबन्ध का उल्लंघन है और ऐसा प्रत्येक अन्तरण जो कि शून्य है, के सम्बन्ध में धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

(ग) (1) राज्य सरकार राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट या किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर या स्वयं किसी कार्यवाही या वाद के अभिलेख, उसकी या उस पर पारित आदेश की वैधता अथवा औचित्य पर अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मांग सकती है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे;

(2) इस उपधारा के अधीन पारित कोई भी आदेश, जो किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया जाय।

5. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम में सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।"

आज्ञा से,

बी0 लाल,

सचिव।